भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 255

20 जुलाई, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि में निवेश

255. श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश और नवीनतम प्रौद्योगिकी लाना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में नीति क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के अंतर्गत किसानों को वितरित धनराशि का ब्यौरा क्या है और अब तक उनकी वार्षिक आय में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) कृषि आधारभूत संरचना के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्यों में इसके परिणामस्वरूप अब तक विकसित आधारभूत संरचना का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)</u>

(क) एवं (ख): भारत सरकार ने फसलोपरांत प्रबंधन और समुदाय कृषि सम्पदा से संबंधित कृषि अवसंरचना को सुदृढ करने के लिए कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के अन्तर्गत वित्तीय सुविधा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सेक्टर स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के अधीन किसानों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, केन्द्रीय/ राज्य एजेसियां अथवा स्थानीय विकास की प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं आदि जैसी इकाइयां पात्र अवसंरचना परियोजना की स्थापना करने का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

कृषि मंत्रालय की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत राज्य स्तरीय संस्वीकृत समिति बैठक (एसएलएससी) में अनुमोदित परियोजना के आधार पर राज्य सरकारों को सहायता अनुदान दी जाती है। राज्य समेकित कृषि घटक के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारिता (पीपीपी) में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए परियोजना शुरू कर सकती है।

इस मंत्रालय की समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अन्तर्गत पात्र परियोजना लागत के 35 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक की रेंज में पैक हाऊसेस, प्री-कूलिंग यूनिट, इंटेग्रटेड पैक हाऊसेस, रेफ्रिजरेटर वेन, प्राथमिक/ चल प्रसंस्करण इकाई, शीत भड़ारण, फार्म गेट स्तर से उपभोक्ता स्तर तक, के सृजन के लिए ऋण से जुडी हुई पार्श्वान्त के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध है। फसलोपरांत घटक उद्यमियों, निजी कम्पनियों, सहकारी समितियों, किसान समूहों आदि के बीच से मांग/ उद्ययम शीलता-चालित है जिसके लिए वाणिज्यिक उद्ययमों के माध्यमों से संबंधित राज्य बागवानी मिशन के माध्यम से सहायता उपलब्ध है।

(ग): प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) स्कीम सम्पूर्ण देश के सभी जोतधारक किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तथा उनको घरेलू आवश्यकताओं के साथ-साथ कृषि एवं समवर्गी कार्यकलापों से संबंधित व्यय के लिए उन्हें मक्ष बनाने के लिए कार्यान्वित की जा रही है। यह स्कीम दिनांक 1.12.2018 से लागू है जिसका उद्देश्य कृषक परिवारों को निश्चित अपवर्जन के अधीन 6000/- रुपए प्रति वर्ष का भुगतान ऋण भूमि जोत के साथ प्रदान करना है। 6000/- रुपए के वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ अतंरण मोड के अन्तर्गत पात्र किसानों के बैंक खातों में पूरे वर्ष सीधे 2000/-रुपए की तीन-4 मासिक किस्तों में केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जा रही है। यह एक नई स्कीम है और अभी तक प्रभाव मूल्याकंन नहीं किया गया। विभिन्न राज्यों में पीएम-किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के अन्तर्गत किसानों को अबतक संवितरित धनराशि का ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(घ): एआईएफ के अन्तर्गत वित्तीय सुविधा स्थापित की गई है जिसमें कृषि अवसंरचना के सृजन के लिए ऋण के रूप में बैकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए प्रदान किया जाना है। मंत्रालय ने ब्याज छूट लागत, ऋण गारंटी लागत और पीएमयू के प्रशासनिक लागत के लिए 10736 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। स्कीम के अन्तर्गत ऋण वितरण छह वर्षों में पूरा किया जाएगा और ब्याज छूट और ऋण गारंटी सहायता वर्ष 2032-33 तक प्रदान की जायेगी।

अभी तक स्कीम के अन्तर्गत 6262 परियोजना को 4338 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए गए हैं। राशि बैकों द्वारा वितरित की जा रही है और विभिन्न लाभार्थियों द्वारा अवसंरचना का निर्माण शुरू किया जा चुका है। संस्वीकृत अवसंरचना का प्रकार और परियोजना की संख्या **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

अनुबंध-I

पीएम किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत किसानों को अब तक वितरित की गई राशि

(14/07/2021 तक)

राज्य	राशि (रुपए)
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	**24,97,86,000**
आंध्र प्रदेश	**71,95,38,96,000**
बिहार	**91,82,71,68,000**
चंडीगढ़	**59,42,000**
छत्तीसगढ	**33,17,21,02,000**
दादरा और नगर हवेली	**9,23,38,000**
दमन और दीव	**3,26,98,000**
दिल्ली	**18,83,50,000**
गोवा	**12,19,62,000**
गुजरात	**80,05,98,84,000**
हरियाणा	**26,15,45,82,000**
हिमाचल प्रदेश	**13,49,57,14,000**
जम्मू और कश्मीर	**15,41,69,30,000**
झारखंड	**23,54,11,88,000**
कर्नाटक	**70,17,71,56,000**
केरल	**49,71,14,04,000**
लद्दाख	**9,96,28,000**
लक्षद्वीप	**1,24,16,000**
मध्य प्रदेश	**99,50,39,60,000**
महाराष्ट्र	**1,38,94,70,78,000**
उड़ीसा	**41,55,36,56,000**
पुदुचेरी	**15,37,22,000**
पंजाब	**30,32,39,08,000**
राजस्थान	**91,26,10,02,000**
तमिलनाडु	**59,09,83,14,000**
तेलंगाना	**54,66,30,04,000**
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	**5,83,18,000**
उत्तर प्रदेश	**3,27,88,54,00,000**
उत्तराखंड	**12,03,76,18,000**
पश्चिम बंगाल	**2,81,59,20,000**
योग (1)	**13,34,61,50,44,000**
पूर्वोत्तर राज्य	
अरुणाचल प्रदेश	**1,04,58,08,000**
असम	**28,52,68,46,000**
मणिपुर	**3,88,62,52,000**
मेघालय	**1,88,86,24,000**
मिजोरम	**1,46,23,64,000**
नगालैंड	**2,54,77,72,000**
सिक्किम	**8,96,24,000**
त्रिपुरा	**3,17,27,12,000**
योग (2)	**42,62,00,02,000**
सकल योग(1+2)	**13,77,23,50,46,000**

अनुबंध-II

क्र.सं.	परियोजना के प्रकार	आवेदन की संख्या
1	भांडागार (वेयरहाउस)	3811
2	परख इकाइयाँ	155
3	प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र	128
4	छँटाई और ग्रेडिंग इकाई	124
5	राज्य द्वारा संवर्धित पीपीपी परियोजनाएं या उनकी एजेंसियां	33
6	लॉजिस्टिक्स सुविधा	22
7	उन्नत और सटीक कृषि के लिए बुनियादी ढांचा	20
8	फसलों के समूहों के लिए आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना	18
9	शीतागार और कोल्ड चेन	71
10	स्थानीय सरकार द्वारा संवर्धित पीपीपी परियोजनाएं या उनकी एजेंसियां	5
11	राईपनिंग चैम्बर्स	7
12	साइलोस	2
12	जैविक आदानों का उत्पादन	5
13	पैकेजिंग इकाइयां	8
14	केंद्र या उनकी एजेंसियों द्वारा संवर्धित पीपीपी परियोजनाएं	4
15	फसलों के निर्यात समूहों के लिए आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना	1
16	जैव स्टिमुलेंट उत्पादन इकाइयां	5
17	वैक्सिंग प्लांट्स	2
18	अन्य –	1841
	सकल योग	**6262**

****